## 13. गाय/भैंस पालन के लिए बैंक ऋण :

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) देश में कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों में विभिन्न कार्यो के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि के माध्यम से किसानों / पशुपालकों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है। डेरी पशु (गाय/भैंस)पालन शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए जरूरी है कि बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप को भरकर नजदीक

के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक में जमा करें। प्रारूप बैंक के तकनीकी अधिकारी अथवा बैंक प्रबन्धक की सहायता से भरा जा सकता है। डेरी पशुपालन को बड़े स्तर पर शुरू करने तथा इसके लिए बैंक से ऋण लेने के लिए विस्तृत विवरण वाली परियोजना बनानी पड़ती है। परियोजना में ऋण लेने हेतु पशुओं को शुरू के 2-3 महीने तक खिलाने का खर्च, टयूबवैल, गोदाम, वाहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। जमीन खरीद को इस बैंक ऋण में सम्मिलित नहीं किया जाता है, फिर भी यदि डेरी फार्म स्थापित करने के लिए जमीन खरीदनी है तो इसके लिए अलग से ऋण लिया जा सकता है।